



गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों का विश्लेषणात्मक अध्ययन

दिनेश कुमार कुम्हार, इतिहास विभाग (विद्या संबल योजना)
राजकीय कन्या महाविद्यालय, कोटपूतली, जयपुर, राजस्थान, भारत

ORIGINAL ARTICLE



Author

दिनेश कुमार कुम्हार

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 17/05/2023

Revised on : -----

Accepted on : 25/05/2023

Plagiarism : 00% on 17/05/2023



शोध सार

गोपाल कृष्ण गोखले अपने युग के चमकते हुए सितारों में थे। उन्होंने भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सभी क्षेत्रों को अपने चिंतन और कार्यकलापों से प्रभावित किया। सभी क्षेत्रों में नैतिकता के स्पर्श की कामना की। आदान-प्रदान और समझौते की मांग का समर्थन किया। उन्होंने वैधानिक आंदोलन को गति दी तथा आदर्शवादी मार्गों में समन्वय किया। गोपाल कृष्ण गोखले की महानता इस बात में थी कि राजनीति में उन्होंने नैतिक मूल्य को स्थान दिया। उस समय भारत के राजनीतिक पटल पर उग्रवादी एवं क्रांतिकारी आंदोलन अपने पूरे यौवन पर था। गोखले के विचारों का इनके द्वारा विरोध भी किया जा रहा था, लेकिन फिर भी वह अपने धैर्य एवं संयम के साथ संवैधानिक मार्ग पर चलते रहे। गोखले ने सदैव अपने क्रमिक सुधारों में विश्वास किया और भारत के लिए एकाएक स्वशासन की मांग को अव्यावहारिक माना। इस तरह वे अंग्रेजों की छत्र-छाया में राजनीतिक सुधार लाना चाहते थे। उनका तर्क था कि अभी भारतीयों में स्वशासन चलाने का अनुभव नहीं है। वे महादेव गोविंद रानाडे को अपना गुरु मानते थे।

मुख्य शब्द

सामाजिक, राजनीतिक, दर्शन, धार्मिक, आंदोलन, आदर्शवादी.

प्रस्तावना

गोखले की ब्रिटिश उदारवाद में गहरी आस्था थी तथा उनका अंग्रेज जाति का न्यायप्रियता में पूर्ण विश्वास था। वे ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था के लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून का शासन, सीमित सरकार के सिद्धांत तथा न्याय प्रणाली को भारत में स्थापित करना चाहते थे। उनका विश्वास था कि भविष्य में ब्रिटेन में ऐसा राजनीतिक वातावरण बनेगा, जो भारतीयों के साथ न्याय करेगा

उनका विश्वास था कि जैसे-जैसे भारतीय में राजनीतिक जागरूकता आएगी तथा देश वे स्वशासन के योग्य बनेंगे, वैसे-वैसे ब्रिटिश सरकार उनको स्वशासन प्रदान करेगी। गोखले का मत था कि उग्रवाद से भारत का भला नहीं हो सकता।

शोध अध्ययन के उद्देश्य

इस शोध पत्र का उद्देश्य गोपाल कृष्ण गोखले के सामाजिक व राजनीतिक पृष्ठभूमि, जीवन और चिंतन के स्रोत से निम्नलिखित विश्लेषण करना है:

- गोखले के सामाजिक-राजनीतिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना।
- गोखले के सामाजिक तथा राजनीतिक विचारों का अध्ययन करना।
- गोखले के आर्थिक एवं शिक्षा सम्बन्धी विचारों का अध्ययन करना।
- गोखले के सामाजिक तथा राजनीतिक, आर्थिक एवं शिक्षा सम्बन्धी विचारों का विश्लेषण करना है।

शोध विधि व आंकड़ों का संग्रहण

गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों का विश्लेषण करने के लिए प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों को लिया गया है। आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए समाचार पत्रों, पत्र-पत्रिकाओं, जर्नल आदि का उपयोग किया गया है।

गोपाल कृष्ण गोखले का जीवन परिचय

गोखले का जन्म मुंबई प्रांत के रत्नागिरी जिले के कोटलक ग्राम में 9 मई 1866 को हुआ। उनके पिता का नाम कृष्णराव था, माता का नाम सत्यभामा था। उन्होंने अपनी मैट्रिक परीक्षा कोल्हापुर से उत्तीर्ण की थी। उसके बाद में डेकन एजुकेशन सोसाइटी के आजीवन सदस्य बने। उन्होंने अपना प्रथम प्रशिक्षण तथा कार्य 1987 से 1901 तक रानाडे के निर्देशन में किया। उन्होंने 1895 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की।

1902 में दक्षिण शिक्षा समाज से सेवानिवृत्त होकर वे सार्वजनिक जीवन में हुए। गोखले पर फिरोजशाह मेहता का भी प्रभाव था। सन 1889 में गोखले ने कांग्रेस में प्रवेश किया। 1895 में कांग्रेस के मंत्री बने। 1897 में वह दक्षिण शिक्षा समाज के प्रतिनिधि के रूप में सेलबी कमीशन के समक्ष गवाही हेतु इंग्लैण्ड गये। 1902 में वे केन्द्रीय विधान परिषद के सदस्य बने। उनके तर्कपूर्ण तथ्यों पर आधारित व रचनात्मक सुझावों से पूर्ण भाषणों का आकर्षण सदस्यों व शासकों दोनों पर था। उनके विचारों व सुझावों पर शासकीय कार्य भी होता था। नमक कर को हटाने, अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा सरकारी नौकरियों में भारतीयों के साथ भेदभाव न करने सरकारी व्यय में कमी आदि में उन्होंने अपनी वक्तव्य कला प्रदर्शित कर अपना प्रभाव डाला। लार्ड कर्जन के नकारात्मक सुधारों का उन्होंने विरोध किया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, प्रेस अधिनियम शासकीय गोपनीयता अधिनियम आदि लार्ड कर्जन भी उनकी प्रतिमा के कायल थे व उन्हें सी. आई. ई. का खिताब दिया। सन् 1905 में गोखले बनारस कांग्रेस के सभापति बने, बहिष्कार का समर्थन में अंतिम अस्त्र के रूप में ही करना चाहते थे। नरम दल के नेता के रूप में वह कांग्रेस से अनेक वर्ष तक कार्य करते रहे। प्रारम्भिक उत्साह के बाद 1909 के सुधारों पर निराश होकर उन्होंने उसकी आलोचना की। 1912 में दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद विरोधी आन्दोलन में गांधी की सहायता की। अत्यधिक परिश्रम के कारण 1915 में 49 वर्ष में ही गोखले की मृत्यु हो गयी। वे देश का पुनर्निर्माण क्रमिक सुधारों से करना चाहते थे। इसी पर उनका गरम दल से मतभेद था जो उन्हें दुर्बल हृदय वाला कहते थे। भारत में सुधारों की उनकी विस्तृत योजना गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा कहलाती है। सन् 1897 से 1914 की अवधि में उन्होंने ब्रिटेन में सकारात्मक व सहानुभूति वातावरण व जनमत निर्माण हेतु सात बार इंग्लैण्ड की यात्रा की।

सामाजिक विचार

गोखले, राजा राममोहन रॉय व बाल गंगाधर तिलक के समान सामाजिक आन्दोलन के लिए सक्रिय नहीं माने जाते हैं, पर वे सच्चे सहिष्णु समाज सुधारक थे। उन्होंने अपने जीवन के प्रारम्भ में ही अनंत संभावनाओं को त्यागकर शिक्षा के क्षेत्र को सेवा हेतु चुना। शिक्षा संभावनाओं के द्वार खोलने के लिए जनता हेतु आवश्यक थी। डेकन

सोसायटी के साथ जुड़कर उन्होंने यही कार्य किया। दलित व स्त्रियों की शिक्षा के भी गोखले पक्षधर थे। गोखले का जीवन त्याग तपस्या कठोर परिश्रम व जन सेवा की जीवन्त मिसाल था। देशसेवा उनका धर्म था।

गोखले के सामाजिक विचार निम्नलिखित थे:

- गोखले रूढ़िवादिता का विरोध करते थे। हिन्दू धर्म के पूर्वाग्रहों के विरोध पर आग्रहकर व उनके विचार समान थे, संकीर्णता उन्हें रास नहीं थी।
- तिलक से मतभेद का एक कारण संकीर्णता का विरोध था। तिलक बाल विवाह का खुला समर्थन करते थे।
- शिक्षा हेतु गोखले की तुलना में तिलक का कार्य नगण्य व कट्टरपंथी प्रतीत होता है।
- धर्मनिरपेक्ष गोखले जाति व्यवस्था को प्रगति विरोधी समझते थे। वे हिन्दू-मुस्लिम के मध्य मधुर सामाजिक सम्बन्धों का समर्थन करते थे।
- सामाजिक-धार्मिक सहिष्णुता व सहभावना उनका लक्ष्य था। गोखले मानवतावादी थे।
- नशाबंदी और अकाल पीड़ितों के हेतु आग्रह एवं प्लेग के समय सहायता आदि सामाजिक कल्याण की भावना को दर्शाता है।
- वे पूर्ण नशाबंदी का समर्थन करते थे जिससे निर्धन इस घातक बुराई से दूर रह सकें। मद्यपान से प्राप्त राजस्व कमी की पूर्ति हेतु उन्होंने दो सुझाव दिये।
- राजस्व अधिकारी देने वाला अधिकारी नहीं बनाना तथा लाइसेंस की व्यवस्था करानी चाहिये। मादक पदार्थों के दाम बढ़ाने से लाभ नहीं होता दक्षिण अफ्रीकी रंगभेद नीति की के साथ ही उसे दूर करने का भी गोखले ने प्रयास किया।

आर्थिक विचार

गोखले के आर्थिक विचार भारतीय परिस्थितियों पर आधारित थे। अर्थशास्त्र व ग्रामीण जीवन के संघर्ष ने उनकी सोच को व्यावहारिकता के निकट रखा। वे सम्पूर्ण आय का समान सा वितरण चाहते थे। भारतीय स्थिति पर आधारित सुझाव भी उन्होंने प्रस्तुत किये। इनकी दृष्टि में संवैधानिक उन्नति के लिए राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण आवश्यक था।

भारत के सैनिक व्यय में कमी का आग्रह

ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में सैनिक व्ययों में भारत के राजस्व के अनुपात में विश्व के अन्य देशों से कहीं अधिक था। आयोग के समक्ष साक्ष्य के रूप में ये तथ्य गोखले से इंग्लैण्ड में प्रस्तुत किये। सैन्य व्यय पर कमी अत्यावश्यक थी। इस व्यय में कमी हेतु भारत में रिजर्व सेना का भी गोखले ने साथ दिया। भारतीय सेना के भारतीयकरण के सुझाव से व्यय को पदभारी वेतन व दिनों के अधिकारी के रूप में व्यापक अवसरों की। भारतीय जनता को परखने पर भारतीय सेना के उद्देश्यों के लिए भारतीय सेना के भारत की से बाहर के अभियानों का व्यय ब्रिटिश सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिये।

जनता पर करों के बोझ को कम करने का आग्रह

भारतीय जनता पर करों के भारी बोझ के गोखले विरोधी थे। इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कॉंसिल में सरकारी कर नीति की उन्होंने आलोचना की। 1902 के अपने बजट भाषण में वित्त सचिव द्वारा प्रस्तुत अधिशेष को उन्होंने आपत्तिजनक दोहरे अन्याय का बताया। आर्थिक विपन्नता वाली जनता पर करो का आवश्यकता से अधिक भार थोपा जा रहा था दूसरी ओर सरकार अर्जित आय का अधिकांश भाग कल्याण हेतु खर्च करने के स्थान पर सैन्य व सरकारी तंत्र पर उपयोग कर रही थी। इससे भारत की गरीबी और अधिक बढ़ रही थी। जनकल्याण का कार्य प्रांतों पर है, अतः राज का अधिकांश भाग केन्द्रीय सरकार द्वारा लेना उचित नहीं है, ऐसा गोखले का विचार कर व्यवस्था सुधार हेतु सरकार को ठोस सुझाव दिये, जैसे अकाल के समय भू राजस्वमाफ करना आयात कर की सीमा में वृद्धि, सूती कपड़े के उत्पादन पर आदि सरकार की राजस्व नीति की प्रस्तुत करते थे। प्रशासनिक दक्षता के नाम पर

प्रशासनिक व्यय में कल्याणकारी गतिविधियों के विपरीत प्रभाव डाल रहा था। निर्भयपूर्ण राज का उपयोग शासन की जनकल्याणकारी गतिविधियों के विपरीत प्रभाव डाल रहा था। अर्थशास्त्री की उनकी पैनी दृष्टि समस्या की जड़ तक पहुँच कर समाधान प्रस्तुत करने से हिचकती नहीं थी। इस गहरी पैठ व दृष्टि हेतु वे अथक परिश्रम करते थे।

मुक्त व्यापार की नीति के प्रति संशय

मुक्त व्यापार नीति के भारतीय स्थितियों में संभावित गंभीर दुष्परिणाम उनकी समझ के अंदर थे। औद्योगीकरण के लिए आधारभूत ढांचा व आर्थिक विकास की न्यूनतम दर के अभाव में भारत या किसी भी अन्य देश को मुक्त व्यापार में धकेलना न्याय के प्रतिकूल है। इसे व्यापक रूप से लागू करना उचित नहीं है, क्योंकि मुक्त व्यापार अन्य उदारवादी मूल्यों भातृत्व, स्वतंत्रता जैसा पवित्र नहीं है। उदारवादी होते हुए भी भारतीय स्थितियां व हित उनके सामने सर्वापरि था। मुक्त व्यापार की (ईस्ट इण्डिया कम्पनी की) नीति से भारत में लघु व कुटीर उद्योग के माल को विदेशी में बड़े कारखानों में लघु व कुटीर उद्योग के माल को विदेशों में बड़े कारखानों में मशीनों से तैयार माल से प्रतियोगिता करनी पड़ी। इससे कुटीर व लघु उद्योग नष्ट हो गये। उनमें कार्यरत लोग बेरोजगार या पूर्णतः कृषि आधारित हो गये। इस नीति के हानिकारक पक्ष स्वरूप भारत में औद्योगिक विकास व पूंजी निवेश के प्रयास नहीं किये गये। तकनीकी एवं औद्योगिक शिक्षा के प्रसार हेतु भी कार्य नहीं किया गया। इससे उद्योगों (लघु), दस्तकारी शिल्प के नष्ट होने के साथ ही योगीकरण के लाभों जैसे उद्योगों के विस्तार, औद्योगिक रोजगार में वृद्धि आदि से भी भारत वंचित रहा। भारतीय उद्योगों के लिए संरक्षण संगत नीति अपनाना गोखले के अनुसार आवश्यक था। संरक्षण नीतिकात्मक दृष्टिकोण से अपनाना आवश्यक था जिससे विकासशील उद्योगों को आवश्यक प्रोत्साहन व समर्थन दिया जाता है पर यह आम जनता के लिए अहितकर नहीं होना चाहिये। गोखले मुक्त व्यापार व संरक्षण के अच्छे पक्षों से युक्त नीति को भारत के लिए उचित समझते थे। स्वतंत्र भारत की मिश्रित आर्थिक नीति का स्रोत गोखले भी थे। वे उद्योगपतियों से उद्योगों में शिक्षित भारतीयों की नियुक्ति के समर्थक व भारतीय माल हेतु विदेशी में मंडिया चाहते थे।

ग्रामीण ऋणग्रस्तता

किसानों की दीन –हीन ऋणग्रस्त दशा से गोखले चिंतित थे। एक ओर किसान साहूकार द्वारा शोषित थे तो दूसरी ओर सरकार के करों के बोझ से भी कृषक को ऋण हेतु अपनी कृषि भूमि या अन्य रखनी पड़ी थी। अतः सरकार के इस समस्या के समाधान हेतु भूमि एलिनिशन बिल का उन्होंने विरोध किया। सहकारी समितियों की स्थापना के द्वारा ग्रामीण व कृषकों को वित्तीय सुविधाओं की संस्थागत व्यवस्था में स्वतंत्र भारत में सहकारी संस्थाओं व बैंकों को खोलने के सुझाव से उद्भूत उत्तराधिकारी माना जा सकता है। इसी सन्दर्भ में बंगलादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम उल्लेखनीय है। ये सभी प्रयास आज के विश्व व भारत दोनों में गोखले के सुझाव की प्रासंगिकता को दर्शाते हैं। कृषि क्षेत्र में उत्पादन में सुधार, उत्पादन के समुचित साधन के स्तर पर कृषकों के हित रक्षा हेतु सरकारी हस्तक्षेप को उचित मानते थे। उन्होंने सुझाव दिये की भूमि की सरकारी सम्बन्धी करों में उचित राहत देकर तरीकों में समुचित परिवर्तन के किया जा सकता है।

भारत में रेल विस्तार को प्राथमिकता का विरोध

रेलों के विस्तार के हेतु भारी व्यय के गोखले विरोधी थे। रेल के प्रसार में एक सुदृढ़ आयोगिक आधार का तर्क दिया गया। गोखले का निर्भीक उत्तर था कि ऐसा भारत के प्रशासन पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए किया गया है। वे सरकार द्वारा गतिविधियों में धन के उपयोग तथा भारतीय उद्योगों को संरक्षण देने की अधिक आवश्यकता पर बल देने में उनकी भूमिका रही है, लेकिन सरकार इनकी उपेक्षा कर रेलवे के विस्तार पर अधिक खर्च कर रही थी।

शिक्षा सम्बन्धी विचार

शिक्षा को गोखले विकास के लिए एक मूलभूत शर्त मानते थे। एक शिक्षक के रूप में व शिक्षार्थी के रूप में भी शिक्षा की महत्ता से सुपरिचित थे। शिक्षा के प्रसार के अभाव में राजनीति, सामाजिक, आर्थिक, आत्मनिर्भरता

की प्राप्ति संभव नहीं थी। भारत में ब्रिटिश संपर्क से पश्चिमी शिक्षा व उदारवाद से परिचय को महत्वपूर्ण मानते थे, विशेषतः सामाजिक रूढ़िबद्धता से मुक्ति हेतु अपने जीवन के प्रारम्भ में ही गोखले ने 75 रुपये के वेतन पर दक्षिण शिक्षा समाज का लेकर शिक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का परिचय दिया। उनकी शिक्षा की जनस्वास्थ्य में दक्षता, शिक्षा विधेयक, जन सामाजिक सहिष्णुता व समानत संवैधानिक आन्दोलन के तरीके भी उनके अनुसार शिक्षा के अंग थे। पठन—पाठन—लेखन उनके लिए क्षमता थी। औद्योगिक व तकनीकी शिक्षा, स्त्री शिक्षा प्राथमिक शिक्षा पर उन्होंने विशेष बल दिया। प्राथमिक शिक्षा हेतु तो उन्होंने 1910 व 1912 में भी विधेयक प्रस्तुत किया।

प्राथमिक शिक्षा

गोखले के 1910 व 1912 के प्राथमिक शिक्षा के साथ—साथ ब्रिटिश उदाहरण (1870 व 1876 1892) के शिक्षा एक्ट से भी प्रभावित थे। उनका उद्देश्य देश की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को अनिवार्य करने की है। अन्य देशों में भी जनप्राथमिक हेतु प्रारम्भ करना आवश्यक है। अन्य देशों में भी प्राथमिक शिक्षा के किसी रूप में उसे अनिवार्य बनाना पड़ा। भारत में भी ऐसी अनिवार्यता का होना जरूरी है। 1906 में बड़ौदा राज्य में अपने यहाँ निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रारम्भ किया था। निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की माँग 1855 में अक्षय कुमार दत्त ने गवर्नर जनरल को स्मरण पत्र देकर की थी। गोखले के बिल में स्थनीय संस्थाओं द्वारा किसी अन्यायपूर्ण दबाव को रोकने के लिए यह व्यवस्था केवल प्रांत सरकार द्वारा पूर्व अनुमति के बाद लागू होनी थी। बिल 1912 में दुबारा पेश किया गया। सरकार द्वारा इस विषय में कानून (1870) में गोखले का विधेयक पारित न होने पर भी सरकार व भारतीय नेतृत्व को जगा दिया गया। स्वदेशी स्वराज राष्ट्रीय शिक्षा आदि आंदोलन की सफलता पर उच्च आदर्शयुक्त प्रारम्भिक शिक्षा बिल (1910, 1912) की असफलता भारतीय नेतृत्व पर भी एक प्रश्नचिन्ह लगाती है। भारतीय राजनीतिक दलों द्वारा शिक्षा का अनुपात उनकी शिक्षा के प्रति गंभीरता का सूचक है, जो तब और आज दोनों स्थिति में देखा जा सकता है। विधान परिषद में भी गोखले प्राथमिक निःशुल्क शिक्षा हेतु व स्त्री शिक्षा हेतु आवाज उठाते रहे।

तकनीकी शिक्षा

औद्योगिक विकास हेतु गोखले तकनीकी शिक्षा पर बल देते थे। वे सरकार द्वारा तकनीकी शिक्षा के प्रसार पर व्यय निश्चित करवाना चाहते थे। कृषि अभियांत्रिकी व अन्य तकनीकी क्षेत्रों की उपेक्षा को वे बाधक मानते थे। औद्योगिक विकास में बाधक इस आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करना भी था।

पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन

तत्कालीन उदारवादी नेताओं के समान गोखले भी पाश्चात्य शिक्षा को भारतीय रूढ़िवादी मानस के बंधन मुक्त कर उसे मुक्त व व्यापक बनाने हेतु समर्थन व प्रशंसा करते थे। वे उदात्त परम्पराओं के स्तर हेतु प्रयासरत थे।

उच्च शिक्षा व विश्वविद्यालय स्वायत्तता का समर्थन

उच्च शिक्षा का उदारवादिता एवं अधिकारों व दायित्वों हेतु समर्थन करते थे। विश्वविद्यालय स्वायत्तता को सीमित करने के सरकारी प्रयासों के वे विराधी (यूनिवर्सिटीज एक्ट, 1904) थे। उनके विरोध के बाद भी यह एक्ट सरकार द्वारा पारित किया गया। अपने व्यक्तिगत प्रयास एवं अथक परिश्रम से गोखले ने फर्ग्युसन कॉलेज की पूना में स्थापना की।

राजनीतिक विचार

बहुमुखी प्रतिभा के उदारवादी व्यावहारिक तथा आध्यात्मिक राजनीति के पक्षधर हैं। वे सरकार व जनता के विचार एक—दूसरे को और दोनों का विरोध इसके जीवन का उद्देश्य देश सेवा था और यही उनका धर्म उदारता को आवश्यक मानते थे। संवैधानिक साधनों में वे विश्वास करते थे। उनके विचारों को निम्न बिन्दुओं द्वारा समझा जा सकते हैं:

ब्रिटिश उदारवाद में विश्वास

समकालीन उदारवादी नेताओं की भांति गोखले को ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास था। ब्रिटिश शासन की

लोकतांत्रिक संस्थाओं में पाश्चात्य शिक्षा पद्धति तथा साहित्य के प्रति आकर्षण भी था। नौरोजी की भांति उनकी आशा थी कि अंग्रेजी में एक उच्च न्यायप्रिय राजनीतिक सोच का उदय भारत के साथ न्याय करेगा। अंग्रेजों की न्याय व उदार भावना को उकसा कर उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत स्वराज्य के लिए तैयार करना चाहते थे। उग्रवाद को वे भारत के लिए अहितकर मानते थे। अपने आत्मसम्मान के साथ तत्कालीन ब्रिटेन शक्ति सामर्थ्य के अनुसार यह व्यावहारिकता का परिचय था।

ब्रिटिश शासन को भारत के लिए वरदान मानना

ब्रिटेन के साथ संपर्क को वे भारत की बौद्धिक प्रगति व भावी निर्माण हेतु श्रेयस्कर मानते थे। भारत में शांति व व्यवस्था की स्थापना, पाश्चात्य शिक्षा, लोकतांत्रिक व्यवस्था, संवैधानिक संस्थाओं के ज्ञान उन्हें ब्रिटिश सम्पर्क वरदान लगता था। भारत में व्यवस्था व शान्ति की स्थापना उनके इतिहास मन को एक वरदान दिखाई देती थी। वर्तमान में भी भारत में विभिन्न गुटों में संघर्ष मनमुटाव व दंगे इस तत्व की याद दिलाते हैं कि देश की नैतिक-सामाजिक सम्पन्नता स्थायित्व शान्ति पर ही निर्भर है।

स्वशासन

गोखले ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत स्वशासन चाहते थे। स्वशासन का अर्थ था ब्रिटिश अभिकरण के स्थान पर भारतीय अभिकरण की प्रतिष्ठा, विधान परिषदों का विस्तार व सुधार करते-करते उन्हें वास्तविक निकाय बना देना तथा जनता को सामान्यतः अपने मामलों का प्रबन्ध स्वयं करने देना। वे एक निश्चित समय तक अन्य उपनिवेशों के समान स्वशासन के आकांक्षी थे।

स्वशासन हेतु निम्न बिन्दु आवश्यक थे:

- भारत मंत्री की परिषद व वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व।
- इंग्लैण्ड में होने वाली सभी प्रतियोगी परिक्षाओं का भारत में आयोजन।
- केन्द्रीय प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार, जिससे जनता का प्रभावी प्रतिनिधित्व हो सके।
- स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं व नगरपालिकाओं की शक्ति को बढ़ाना।

संवैधानिक साधनों में विश्वास

उदारवादी गोखले क्रमिक सुधार संविधानवाद के पोषक थे। प्रार्थना, पत्र, प्रतिनिधि मंडल उनके अस्त्र थे। बहिष्कार की राजनीति का दबाव या भय का वे विरोध करते थे। वे भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता के प्रति अवसर पैदा करना चाहते थे। शासन से असहयोग कर प्रगति उन्हें असंभव प्रतीत होती थी। व्यावहारिक स्थिति व यथार्थ वर्तमान में यही दर्शाता है। तथ्यों और तर्कों के आधार बनाकर वे महत्वपूर्ण लोगों के विचारों को अपने पक्ष में परिवर्तित करना चाहते थे। स्वतंत्र भाषण, लेखन, संगठन, सभाओं, जुलुसों आदि से जनमत को तैयार कर रचनात्मक आलोचना के पक्षधर थे।

नौकरशाही की आलोचना

कठोर उत्पीड़न की नीति के वे विरोधी थे। उनके अनुसार सरकार में जनहित के प्रतीक किसी व्यक्ति का अभाव, शासन का पूर्ण केन्द्रीकृत होना, कार्मिकों का 5 वर्ष का सीमित कार्यकाल आदि नौकरशाही की कमियाँ थी।

सत्ता के विकेन्द्रीकरण का समर्थन

सत्ता का विकेन्द्रीकरण ही वास्तविक लोकतंत्र व जनता के अधिकार का मार्ग है। केन्द्रीयकरण निरंकुशताव मनमानी को प्रोत्साहित करता है। शासन केन्द्रीकरण से संबद्ध आयोग 1908 के समक्ष भी गोखले ने विकेन्द्रीकरण हेतु स्थानीय विकेन्द्रीकरण को देने का पक्ष रखा। गोखले का सुझाव था प्रांतीय विधान परिषद की शक्ति में वृद्धि, बजट पर स्वयं विचार की शक्ति जिला स्तरीय परिषद द्वारा कलेक्टर को दी जाये। उन्होंने सबसे नीचे ग्राम पंचायत जिला परिषद, प्रांतीय सरकारों को राजस्व अधिकार की भी मांग की।

स्वतंत्रता में विश्वास

मानव प्रगति हेतु वे स्वतंत्रता के पक्षधर थे। ब्रिटिश राजनीतिज्ञों से भी वे ऐसा शासन चाहते कि भारतीय

पश्चिम के लोकतांत्रिक आदर्शों के अनुरूप स्वयं शासन करने योग्य बन सके। स्वतंत्रता के लिये वे न्यायपालिका व कार्यपालिका की पृथकता चाहते थे। जन अभिव्यक्ति हेतु वे स्वतंत्रता व प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे। उनकी अभिव्यक्तियां भी निर्भीकता स्वतंत्र अभिव्यक्ति आलोचना वयस्क मताधिकार के पहले भारतीय प्रतिपादक थे।

भारत सेवक समाज

श्री गोखले ने अपने विचारों और राजनीतिक विश्वासों को मूर्तरूप देने के लिए और अपने उद्देश्यों को रूप में परिणत करने के लिए भारत सर्व –समाज संघ की स्थापना 12 जून, 1905 को की थी। कार्यालय पूना में था। इसका उद्देश्य था, देश के नवयुवकों को देशभक्तिपूर्ण राजनीतिक शिक्षा देना। इस संस्था के द्वारा वे राजनीतिक संन्यासी पैदा करना चाहते थे। उनके अनुसार भारत में राष्ट्र निर्माण के कार्य में और अधिक प्रगति के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित ऐसी संस्था जरूरी थी जो मिशनरी के कार्य में लग जाये। एक संगठनमिमत भारत का विचार एक निरर्थक सपना मात्र ही नहीं रह गया है, वह एक है। सार्वजनिक जीवन के मार्ग से दिन-प्रतिदिन अधिक व्यापक मान्यता मिल रही है इस आधार पर भवन निर्माण करने का महान कार्य अभी बाकी है। भारत के सदस्य सम्पर्क को एक रहस्यमय ईश्वरीय इच्छा का परिणाम मानते थे। उसमें भारत की सदस्यों का लक्ष्य तक और पूर्व के नहीं हो सकता। देश में कहीं अधिकष्ट निर्माण की दिशा में बहुत कुछ कार्य करना है।

निष्कर्ष

गवर्नर जनरल की परिषद् के वे सदस्य थे। बहुत कम व्यक्ति ही इस पद पर पहुँच पाते थे। गोखले न केवल अपने समकालीन भारतीय नेताओं जैसे तिलक, फिरोजशाह मेहता, गांधी आदि के प्रशंसा पात्र थे वरन् सरकारी पक्ष भी उनके भाषणों की तपूर्ण तथ्यपूर्णता व वक्तव्य का कायल था। लार्ड कर्जन भी उनकी संसदीय क्षमताओं के प्रशंसक थे। वे मानते थे कि किसी भी संसद में गोखले विशिष्ट स्थान प्राप्त कर सकते थे, उनकी योग्यता व उच्च चरित्र की प्रशंसा करते थे। हार्डिंग मित्र के रूप में उनका आदर करते थे। तिलक उन्हें महाराष्ट्र का हीरा मानते थे। उनकी विनम्रता व्यक्तित्व की गरिमा, सेवा, योग्यता विलक्षण थी। सार्वजनिक जीवन में त्याग कठोर परिश्रम व गहन अध्ययन व संयम के वे उदाहरण थे। फर्ग्युसन कॉलेज पूना के निर्माण में उनका भारी योगदान था। दक्षिण सेवा समाज व सार्वजनिक सभा में सचिव विधायक कांग्रेस अध्यक्ष आदि विभिन्न रूपों में उनका योगदान संसदीय परम्पराओं व प्रशासन की दृष्टि से उत्तम है। उनकी एक छवि भारत सेवक समाज थी, तो दूसरा उनके संवैधानिक सुधार जो आगे जाकर ब्रिटिश सुधारों का आधार बने।

संदर्भ सूची

1. सूद ज्योति प्रसाद, *आधुनिक भारतीय सामाजिक तथा राजनीतिक विचार की मुख्य धारा*, प्रकाश नाथ एण्ड कम्पनी, मेरठ, 1970।
2. त्यागी एवंडागर राम रतन रुचि, *भारतीय राजनीतिक चिंतन*, मयूर पेपर वैक्स, 1996।
3. मल्होत्रा गिरीश, *मॉडर्न इण्डियन पालिटिकल थिंक्स*, मुरारीलाल एण्ड संस, नई दिल्ली, 2006।
4. सिंह आर पी, *एजूकेशन एंड दी इण्डियन नेशनल कांग्रेस*, सीनेरियो, नई दिल्ली, 1996।
5. सिंह लक्ष्मण, *भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक विचार*, कॉलेज बुक डिपा जयपुर, 1971।
6. नागर पुरुषोत्तम, *आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतक*, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर।
7. गाबा ओम प्रकाश, *राजनीतिक चिंतन की रूपरेखा*, मयूर पेपरबैक्स, नोएडा।
8. जैन धर्मचंद व दरोगा कैलास चन्द्र, *आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन*, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, जयपुर।
9. कमल के.एल., *भारतीय राजनीतिक चिंतन*, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर।
